9-8-19

तहसीलदार किशनगढ़बास की ओर से पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल उनको जवाब पेश किया जावे। सुनवाई दिनांक 23-8-19 को पेश हो।

26-8-19

अवकाश होने से आज पेश हुई। गैरसायल जरिये नोटिस तलब होकर दि० 6-9-19 को पेश हो। जवाब पेश हो चुका है।

6-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्यत्र मीटिंग
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 13-9-19
को पेश हो।

रीडर

13-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अवकाश पर है
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 2-9-19
को पेश हो।

रीडर

27-9-19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट एवं प्रार्थी के जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रा. पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
58	26-8-19	27-9-19

उनवान

1- सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढ़- बास जिला अलवर :-प्रार्थी

बनाम

1- नूरदीन पुत्र छीतर जाति मेव निवासी कुटियापुर तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-अप्रार्थी

प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट.

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है :-

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार किशनगढ़-बास द्वारा प्रा. पत्र पेश किया ग्राम कुटियापुर के नक्शे में ख. नं. 383, 383 दोबार अंकित है परन्तु जमाबन्दी में 383 तथा 382/473 है। नक्शा मोमिया में 483/473 दर्ज है मिलानक्षेत्रफल में ख. नं. 383/473 दर्ज है सभी की एकरूपता करने के लिए ख. नं. 383/473 जमाबन्दी चालू व नक्शा चालू में एकरूपता लाने के लिए दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः दुरूस्ती के आदेश फरमावें।

प्रा. पत्र पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जबाब पेश किया कि यदि राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जाँच के आधार पर ख. नं. 383/473 जमाबन्दी वो नक्शा में दर्ज किया जाता है तो मुझे आपत्ति नहीं है।

हमने प्रा. पत्र के संलग्न दस्तावेजात व भू. अ. निरीक्षक तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया। जाँच रिपोर्ट एवं अप्रार्थी के जबाब अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम कुटियापुर की चालू जमाबन्दी में व नक्शा चालू में ख. नं. 383/473 दुरूस्ती कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढ़-बास को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner